203

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक R. 1936-PII/14 /निगरानी/2014 टीकमगढ़

मौरलाल पुत्र लालले कुशवाह,
निवासी– ग्राम–सीतापुर,
तहसील–लिधौरा, टीकमगढ़

..... आवेदक

बनाम

सूका पुत्र चतराबसोर, निवासी– ग्राम
शाहपुर, तहसील–लिधौरा, टीकमगढ़

..... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी जतारा टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 34/ अपील/ 2013–14 आदेश दिनांक 19.05.2014 नकल प्राप्ति दिनांक 20–05–2014 को को प्राप्त हुई।

श्रीमान् जी,

आवेदनपत्र के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया वहं निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि खसरा नं. 891 स्थित ग्राम सीतापुर तहसील लिधौरा में है जो विवादग्रस्त है, रेस्पोडेन्ट ने सेवारत भूमि चौकीदार होने के कारण अन्य खसरा नं. की भूमि पट्टे में सेवारत भूमि के रूप में शासन से प्राप्त की थी अपीलान्ट का भूमि खसरा नं. 891 रकवा 1.000 पर कब्जा फसल बोकर वर्ष 1974–75 से आज तक किये हुये चले आ रहे हैं तथा भूमि पर बधिया डाली अधिक खोदे भूमि को समतल कर कृषि काबिज कास्त बनाया है तथा खेती करके अपने परिवार का भरण–पोषण करते चले आ रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई, मनमाने ढंग से भावुकता में आदेश पारित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1936-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ मौरलाल विरूद्ध सूका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 19-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	